न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
269 / 2025

दायर दिनांक
16.05.2025

निर्णय दिनांक
२२.०८.2025

उनवान

1. कन्हैया लाल उर्फ काना धोबी पुत्र श्री मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी जवाहरनगर भीलवाड़ा।
2. भंवर पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पासंल भीलवाड़ा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री प्रताप तेली**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता स्व मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी की मृत्य हो गयी थी एवं प्रार्थी उनके विधिक वारिसान होकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के पिता स्व. श्री मांगू उर्फ मांगी लाल धोबी के नाम ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 व खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 है, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि है व खाता संख्या नया 1031 पुराना 904 में आराजी नम्बर 12, 18, 19, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1508 हैक्टेयर स्थित हैं।

उक्त आरायाजित में मुझ प्रार्थीगण की माता गट्टू पत्नी श्री मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी का देहान्त हो चुका है। उक्त आराजी में अब मे प्रार्थीगण ही विधिक वारिसान है। प्रार्थी के स्वर्गीय पिता मांगु उर्फ मांगीलाल का इन्तकाल होने के बाद वारिसान के आधार पर उक्त आराजियात के राजस्व रिकॅार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी के स्थान पर काना के नाम में त्रूटिवश दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल धोबी दर्ज किया जाना था व प्रार्थीगण के पिता का नाम एक खातें में मांगु हो गया था व दूसरे खातें में मांगीलाल इसलिये पिता के नाम को मांगू उर्फ मांगीलाल किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपने घर पर, गांव में रिश्तेदारी व परिवारजन में कन्हैयालाल धोबी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है इस कारण प्रार्थी के नाम में दुरूस्ति किया जाकर सही नाम कन्हैयालाल धोबी पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल संशोधन करते हुए अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त नाम के संशोधन बाबत् पूर्व में दिनांक 28.11.2024 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय जारी किया गया लेकिन खाता संख्या पुराना 904 में आराजी नम्बर 12, 18, 19, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1508 हैक्टेयर भूमि में वादपत्र व आदेश में संशोधन वंछित हो गया जिस हेतु यह वादपत्र पेश है। प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम काना अंकित है उक्त त्रुटिवश अंकित हुए नाम के कारण प्रार्थी को राजस्व खाते में व अन्य संबंधित दस्तावेजी कार्यवाहीयां आदि कराने में परेशानीयां एवं रूकावट उत्पन्न हो गई है, जिसके निराकरण का अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नहीं है। ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में आवश्यक संशोधन करते हुए सही नाम कन्हैया लाल पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल संशोधन करते हुए अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र पेश करना इसलिए आवश्यक हुआ है कि प्रार्थी के पहचान संबंधी दस्तावेज एवं प्रार्थी के कन्हैया लाल धोबी के नाम से जाना पहचाना जाता है जिसके साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संलग्न है। उक्त संशोधन किए जाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षी से दिनांक 01/05/2024 को निवेदन किया परन्तु संशोधन करने से इन्कार कर देने एवं वल्दियत संशोधन कराने बाबत बता देने से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 वं खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या नया 1031 पुराना 904 में आराजी नम्बर 12, 18, 19, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1508 हैक्टेयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम काना के बजाय आवश्यक संशोधन करते हुए कन्हैयालाल धोबी अंकित कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 1583 दिनांक 01.07.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम पांसल की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या नया 1031 पुराना 904 में आराजी नम्बर 12, 18, 19, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1508 हैक्टेयर मे प्रार्थी का नाम काना पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/6 जाति धोबी सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी खातें में अंकित पिता/पति नाम मांगीलाल मांगु उर्फ मांगीलाल व स्वंय के नाम काना को रेकार्ड पहचान दस्तावेज में अंकित नाम कन्हैयालाल उर्फ काना करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया कि कन्हैयालाल धोबी उर्फ काना पिता मांगु उर्फ मांगीलाल एक ही व्यक्ति है जिसको आम बोलचाल की भाषा में काना उर्फ कन्हैयालाल बोला जाता है। खातेदार प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक में कन्हैयालाल धोबी पिता मांगीलाल दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी खातेदार द्वारा पेश ग्राम पंचायत पांसल के लेटर पेड अनुसार पंचायत ने काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है। संलग्न मौका पर्चा में ग्राम के मौतबिरान ने बताया कि काना उर्फ पिता मांगू ही कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति धोबी है अर्थात् काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगीलाल एक ही व्यक्ति है जिसको काना व कन्हैयालाल दोनों नामों से जाना जाता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 व खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि में आप न्यायालय के प्रकरण संख्या 263/2024 निर्णय दिनांक 28.11.2024 से आदेश होकर पालना की जा चुकी है, परन्तु प्रार्थी के इसी ग्राम के खाता संख्या नया 1031 पुराना 904 में भी काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी कराया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। पटवारी हल्का पांसल की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा दिनांक 25.06.2025 के अनुसार काना पिता मांगु धोबी प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति धोबी के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पांसल की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या नया 1031, पुराना 904 में आराजी नम्बर 12, 18, 19, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 1.1508 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 22-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा